

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 1, 2014/माघ 12, 1935

No. 249]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 1, 2014/MAGHA 12, 1935

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएँ विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2014

का.आ. 302(अ).—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 1 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा, 1 फरवरी, 2014 को उस तिथि के रूप में नियमत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम के सभी उपबंध लागू होंगे।

[फा. सं. 1/2/2013-पैं.सु.]

अनूप वधावन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2014

S.O. 302(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Central Government hereby appoints 1st day of February, 2014 as the date on which all the provisions of the said Act, shall come into force.

[F. No. 1/2/2013-PR]

ANUP WADHAWAN, Jt. Secy.